(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम सामने आये हैं;

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है;

(घ) क्या सरकार द्वारा पेय जल की शुद्धता की जांच करने तथा उसे रोगाणुमुक्त रखने के लिए उपभोक्ता स्तर पर कोई नियमित जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो उसकी सुनिश्चितता और बारंबारता कितनी है; और

(च) यदि इस समय इस प्रकार की नियमित परीक्षण व्यवस्था नहीं है तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था का प्रबंध करने का विचार रखती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा): (क) और (ख) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान तथा स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों के एक दल ने पानी की गुणवंता की विस्तृत जांच की, वहां रहने वाले लोगों से सम्पर्क किया। ओ आर एस, क्लोरीन की गोलियों की सप्लाई तथा टैंकरों के जरिए पीने के पानी की सप्लाई के उपाय शुरू किए गए तथा स्थिति पर नियंत्रण पाया गया।

(ग) इन रोगों पर नियंत्रण रखने के लिए स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा आमतौर पर किए जाने वाले उपाय हैं:—

1. पीने के साफ पानी की व्यवस्था
2. भोजन तथा व्यक्तिगत स्वच्छता में सुधार
3. मानव मल का सही ढंग से निपटान
4. उपयुक्त स्वास्थ्य शिक्षा
5. निगरानी तथा मॉनीटरिंग
6. क्लोरीन गोलियों तथा ओ आर एस पैकेट वितरित करना।

(घ) से (च): हैजे के मामलों पर नियंत्रण रखने के विशिष्ट उपायों के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम के जानपदिकरोग विज्ञानियों के शुद्धता की जांच करने के लिए उपभोक्ता स्तर पर पानी के स्रोतों से पानी के नमूने लिए।

बड़े उद्योगों द्वारा नालीदार डिब्बों का निर्माण

2408. **श्रीमती सुषमा स्वाराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नालीदार डिब्बों के निर्माण का क्षेत्र लघु उद्योग के लिए आरक्षित है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में कतिपय बड़े उद्योगों का इस कार्य को करने की अनुमति प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो उन बड़े उद्योगों के नाम क्या हैं और उनकी उत्पादन क्षमता क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि लघु उद्योगों के लिए आरक्षित उपर्युक्त निर्माण कार्य में इन बड़े उद्योगों के प्रवेश से लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग): ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं।

(घ) और (ङ) उत्पादन के इस क्षेत्र में बड़े उद्योगों के प्रवेश से लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। दि फेडरेशन ऑफ कोरुगेटिड बॉक्स मनुफेक्चरर्स ऑफ इंडिया ने इस संबंध में उच्च न्यायालय में दो सिविल रिट याचिकायें भी दायर की हैं। मामला न्यायाधीन है।

विवरण

नालीदार डिब्बों के विनिर्माण की अनुमति प्राप्त बड़े उद्योगों के नाम, पते, उनकी उत्पादन क्षमता और उनसे संबंधी ब्यौरे

क्र.सं॰	कम्पनी का नाम	विनिर्माण की मद	वार्षिक क्षमता	औ.ला. / आ. पत्र / कार्य जारी रखना और तिथि	टिप्पण
1.	2	3	4	5	6
1.	मै. खेमनका कन्टेनर्श लि॰, फरीदाबाद	नालीदार डिब्बे, गत्ते और उनसे सम्बद्ध उत्पादन	3430 मी.ट.	कार्य जारी रखने संबंधी लाइसेंस संख्या आई.-एल./8/1993 दिनांक 23.4.93	
2.	मै. लाईट पब्लिकेशन लि॰, बड़ौदा	पैकिंग सामग्री, लेबल, कार्टन, डिब्बे।	428233 कि.ग्रा.	कार्य जारी रखने संबंधी लाइसेंस संख्या आई.-एल./7/1994 दिनांक 23.5.94	
3.	मै. हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन, हिमाचल प्रदेश (बाद में मै. इण्डस्ट्रीज पैकेजिंग इंडिया लि. में तबदील हो गई)	नालीदार कार्टन (आन्तरिक प्रयोग के लिए)	3 करोड़ नग	औद्योगिक लाइसेंस सं.सी.आई.एल. 293,(90) दिनांक 8.8.90	प्रथमतः- औद्योगिक लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है: (क) कार्टन की बिक्री और विपणन केवल हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। (ख) आन्तरिकएकल्कों में विनिर्माण किये गये कार्टनों का इस्तेमाल हिमाचल में पैदा किए गए सेब, फलों इत्यादि को पैक करने में किया जाएगा। फिर भी, इन शर्तों को अब हटा दिया गया है और शब्द "आन्तरिकप्रयोग" को भी हटा दिया गया है।
4.	मै. कोर मेडीकल लि. अहमदाबाद (बाद में मै. कोर बायो-टेक लि॰ में तबदील हो गई)	नालीदार डिब्बे/कार्टन	35 करोड़ नग	आ.पत्र सं.एल.-आई/40(1995), दिनांक 2.2.95	आशय पत्र पर 75 प्रतिशत निर्यात दायित्व की शर्त लागू है।